मूल्यांकन

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	एफ7(5)आप्र/वसं/परिसूमू/94/ 4039	19.11.1996	मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश	239
2.	एफ7(5)वसं/परिसूमू/96/561	24.1.1997	नियंत्रण अधिकारी को उत्तरदायी मानने के संबंध में	243
3.	एफ7(5)वसं/परिसूमू/96/561	24.1.1997	निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करने के क्रम में	243
4.	एफ07(5)आप्र/वसं/परिसूमू/94/ 749	10.2.1997	कृषि अभियांत्रिकी एवं भू-संरक्षण कार्यों का प्रबोधन एवं मूल्यांकन	243
5.	एफ6(1)स.मू./97/1150	28.4.1998	विभिन्न कार्य आइटमों की गुणवत्ता एवं मात्रा सही ढंग से करवाने हेतु दिशा- निर्देश	244
6.	एफ7(3)आप्र/वसं/90-91/परिसूमू/ 3569-89	12.8.1999	विभागीय वृक्षारोपण के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में दिशा-निर्देश।	246
7.	एफ( )प्रमुवसं/स.मू./99/3505	29.9.1999	मूल्यांकन प्रविधि	246
8.	एफ 6 ( ) स.मू./2001/वसं./तेपयो/1664	2.7.2001	मृदा संरचनाओं के सम्बन्ध में	251
9.	एफ( ) प्रमुवसं/राज/ प्रचार/ 2003 /223 -343	18.8.2003	विकास कार्यों के छायांकन के क्रम में।	251
10.	एफ7(24)02-03/विभा.वृक्षा.का./ प्रमुवसं /10401	31.3.2004	विकास कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में नवीन दिशा-निर्देश	252
11.	एफ ( )04/विकास/प्रमुवसं /1276	1.6.2004	वृक्षारोपण के नाम के संबंध में।	254
12.	एफ( )04/विकास/प्रमुवसं / 1154	1.6.2004	जल स्तर के मापन के संबंध में।	254
13.	एफ18()2000/जाँच/प्रमुवसं/ 2620	12.7.2004	वृक्षारोपणों के मूल्यांकन समय के संदर्भ में	255
14.	एफ ( )05/विकास/प्रमुवसं/139	7.4.2005	परिपत्र दिनांक 19.11.96 में संशोधन बाबत् (कार्य की नपती के संबंध में)	255
15.	एफ1(3)08-09/विकास/प्रमुवसं/2323 -25	29.5.2008	योजना सम्बन्धी मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने के संबंध में	256
16.	एफ13(51)डीओपी/ए-1/एसीआर/08	5.6.2008	पी.ए.आर. अनुदेश 2008 का सारांश	261
17.	एफ( )2008/स.मू./प्रमुवसं/786	11.7.2008	मूल्यांकन इकाइयों का कार्य क्षेत्र विभाजन	264
18.	एफ( )2008/स.मू./प्रमुवसं/879	19.7.2008	मूल्यांकन दलों हेतु दिशा-निर्देश	264
19.	एफ21(18)2005-06/आयो/प्रमुवसं /4519	4.8.2008	दीवार व मैसेनरी कार्य का गुणवत्ता नियंत्रण (Quality control)	265

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ7(5)आप्र/वसं/परिसूमू/94/ 4039 दिनांक 19.11.1996

विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी किये गये समस्त परिपत्रों एवं आदेशों को अधिलंघित करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। यह केवल प्रबोधन एवं मूल्यांकन का विधि ही नहीं रहेगा बल्कि इसको विभाग में सभी विकास कार्यों में शुरू से ही लागू किया जावेगा जिससे कि सभी स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रबोधन में सहूलियत रहे।

1. पहाड़ी कार्य स्थल को भूतल की बनावट/प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर एवं पत्थरगढ़ी या अन्य विधि से उपखण्डों में विभाजित किया जावे तथा समतल कार्यस्थलों पर उपखण्डों का विभाजन पत्थरगढ़ी या अन्य विधि से किया जावे।

2. प्रत्येक उपखण्ड को अलग-अलग नम्बर दिये जाकर इसमें करवाए जाने वाले भू संरक्षण कार्य, मृदा कार्य, पौधारोपण व बीजारोपण हेतु प्रजातियों के चयन के सम्बन्ध में उपचार योजना तैयार की जावे। बाड़ (फैन्सिंग) करते समय प्रत्येक 50 मीटर पर निशानदेही कर बाड़ के समस्त परिमाप अंकित किया जावे। विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित किए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए जॉब नंबर आवंटित करना अनिवार्य हैं। प्रत्येक जॉब नम्बर के आगे कोष्ठक के अन्दर उपखण्ड की संख्या उल्लेखित की जावे ताकि किसी भी कार्यस्थल को कितने उपखण्डों में विभाजित किया गया है, आसानी से इसका पता लग सके।

3. प्रत्येक कार्यस्थल हेतु एक वृक्षारोपण कार्ड (संलग्न प्रपत्र 1) में संधारित किया जावे। इस कार्य में उपखण्डवार करवाये गये कार्य का ब्यौरा एवं उपखण्ड का नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। कार्ड पर कार्य स्थल का मानचित्र, (स्केच मैप) भी रेखांकित किया जावे। वृक्षारोपण कार्ड पर विभिन्न विकास कार्यों का किस्म अनुसार नम्बर मुखपृष्ठ के बायें कोने पर अंकित किया जावे जो निम्न प्रकार रहेगाः-

   क्र.सं. कार्य की किस्म

   (1) वृक्षविहीन वन क्षेत्रों का पुनरारोपण

   (2) परिभ्रांषित वनों का पुनर्वास

   (3) सामुदायिक वृक्षारोपण

   (4) टिब्बा स्थिरीकरण

   (5) चारागाह विकास

   (6) नहरों के किनारे वृक्षारोपण/रेलवे साइड वृक्षारोपण/रोड साइड (स्ट्रिप) वृक्षारोपण

   (7) अन्य

4. कार्य प्रभारी कार्यस्थल पर एक दैनिक कार्य पंजिका (प्रपत्र 2) संधारित करेगा जिसमें प्रतिदिन होने वाले कार्य की उपखण्डवार नपती कर उसकी प्रविष्टि पंजिका में करेगा एवं उपखण्ड का कार्य पूर्ण होने के उपरांत ठेकेदार/मेट के हस्ताक्षर भी लेगा। इस पंजिका में अंकित कार्य के अनुसार ही कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जावेगी।

5. वृक्षारोपण कार्ड तीन प्रतियों में तैयार किया जावेगा जिसकी एक प्रति कार्यस्थल प्रभारी वन रक्षक/ वनपाल, द्वितीय प्रति क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय तथा तृतीय प्रति कार्यालय उप वन संरक्षक में संधारित की जावेगी। कार्य प्रभारी द्वारा संधारित वृक्षारोपण कार्ड के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर एवं उप वन संरक्षक कार्यालय स्तर पर वृक्षारोपण संधारित कार्ड समय-समय पर अपडेट करेंगे।

6. कार्य स्थलों पर जो कार्य ठेका अथवा पीस रेट पर करवाया जा रहा है, उन कार्यों के बिल्स क्षेत्रीय द्वारा उपखण्डवार तैयार कर मण्डल कार्यालय में प्रेषित किए जावेंगे। जिन कार्यस्थल पर कार्य मस्ट्रोल पर करवाए जा रहे हैं वहाँ पर भी मस्ट्रोल पर गोशवारा भरते समय कार्य का विवरण उपखण्डवार अंकित किया जावेगा।

7. क्षेत्रीय वनाधिकारी प्रत्येक कार्यस्थल पर हुए कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेंगे।

8. प्रत्येक कार्यस्थल के कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का सत्यापन सहायक वन संरक्षक द्वारा एवं 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का सत्यापन उप वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्ड में सत्यापित उपखण्डों के नीचे अपने लघु हस्ताक्षर किए जावेंगे एवं तदनुसार उसका उल्लेख निरीक्षण नोट तथा टूर डायरी में किया जावेगा।

9. वन संरक्षक कम से कम तीन माह में प्रत्येक वन मण्डल का दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हो रही है, अथवा नहीं। इसी प्रकार सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक कम से कम 6 माह में प्रत्येक वन मण्डल का भ्रमण करके उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जहां तक संभव हो वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पूर्व में सत्यापन किए गए उपखण्डों की गणना परीक्षा मूलक रूप में अवश्य की जावे।

मूल्यांकन

वृत स्तर पर मूल्यांकन :

वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक प्रत्येक वन मण्डल के रैन्डम पद्धति से चयनित दो कार्यस्थलों का शत प्रतिशत मूल्यांकन वर्ष में एक बार करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें वन मण्डल के स्थानीय स्टाफ या वृत्त स्तर पर उपलब्ध गश्तीदल की सहायता ले सकते हैं।

परियोजना स्तर पर मूल्यांकन :

मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की आयोजना एवं प्रबोधन इकाई परियोजना के 40 प्रतिशत रैन्डम चयनित वन मण्डलों के कार्यों का प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करेंगे। वन मण्डलों के कार्यों के भौतिक सत्यापन में रैन्डम विधि द्वारा चयनित एक कार्यस्थल का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन तथा पांच अन्य रैन्डम चयनित कार्यस्थलों के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का शत-प्रतिशत सत्यापन भी आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा किया जावेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर मूल्यांकन :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय के अधीन आयोजना एवं प्रबोधन इकाई 20 प्रतिशत रैन्डम चयनित वन मण्डलों के कार्यों का भौतिक सत्यापन करेगी।

वन मण्डलों के कार्यों के भौतिक सत्यापन के चयनित वन मण्डल के कम से कम एक कार्य का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन तथा चयनित वन मण्डल के प्रत्येक रेंज का रैन्डम पद्धति से चुने गए एक कार्य के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त चयनित वन मण्डल के कम से कम एक पुराने कार्य का मूल्यांकन भी उक्त इकाई द्वारा रैन्डम पद्धति से चुना जाकर निम्नानुसार किया जावेगा:-

एक/दो वर्ष पुराना वृक्षारोपण	-	5 प्रतिशत कार्यों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन
तीन/चार वर्ष पुराना वृक्षारोपण	-	2.5 प्रतिशत कार्यों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन
पांच वर्ष या अधिक पुराना वृक्षारोपण	-	1 प्रतिशत कार्य का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन

बाह्य मूल्यांकन -

प्रदेश में रैन्डम पद्धति द्वारा चयनित 10 प्रतिशत वन मण्डलों का मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय के अधीन आयोजना एवं प्रबोधन इकाई हेतु उपरोक्त वर्णित मूल्यांकन पद्धति अनुसार स्वतंत्र रूप से समग्रिक मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होगा। यह मूल्यांकन परियोजना काल के तृतीय वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रारंभ किया जावेगा।

परियोजना मुख्यालय एवं बाह्य मूल्यांकन इकाइयों के द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले कार्यस्थल जहां तक संभव हो अलग हो, इसका ध्यान रखा जावे ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र पर प्रभावी मूल्यांकन हो सके।

उपरोक्त मूलभूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य वन संरक्षकगण इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रभावी निर्देश जारी करें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

प्रकार

वृक्षारोपण — प्रपत्र-I (वृक्षारोपण कार्ड)

सम्बन्धित — मुखपृष्ठ

नम्बर

नाम वन मण्डल : — पंचायत समिति :

नाम रेंज : — क्षेत्रफल :

कार्यस्थल : — वर्ष :

विभाजित उपखण्डों की संख्या :

जॉब नम्बर :

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति ग्राम :

लाभान्वित ग्राम :

सदस्यों की संख्या :

प्रपत्र VI परियोजना अवधि में कार्य से लाभ

वर्ष	सृजित मानव दिवस	घास		मूंज		बीज		....		कुल राशि	
		मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि		
योग											

प्रपत्र VII स्केच मैप (प्लॉट विवरण सहित)

प्रपत्र II (दैनिक कार्य पंजिका)

नाम वन मण्डलः- — नाम कार्यस्थल :-

नाम रेंजः- — क्षेत्रफल :-

कार्य सम्पादन की पद्धति :- ठेका/पीसरेट/मस्ट्रोल

दिनांक	उपखण्डवार किए गए कार्य का विवरण एवं मात्रा	नाम ठेकेदार/मेट	कार्य प्रभारी द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापन संबंधित टिप्पणी

II. बाड़बन्दी (रनिंग मीटर में) साइज मात्रा मात्रा

क. पत्थर की दीवार

ख. खाई फैन्सिंग

ग. डोला फैन्सिंग

घ. कांटेदार तार की बाड़

ड. पुरानी बाड़ की मरम्मत

योग .

IV अन्य कार्य दिनांक

क. केटल गार्ड हट निर्माण आरंभ सम्पन्न

ख. निराई-गुड़ाई

ग. थिनिंग प्रुनिंग ऑपरेशन

घ. प्राकृतिक पौधों के थांवला बनवाई

ड़. निरीक्षण पथ निर्माण

च.

छ.

ज.

झ.

V वर्षवार व्यय

राशि 0 वर्ष वृक्षा. संधारण वर्ष .

लाखों में वर्ष 1. 2. 3. 4. 5.

स्वीकृत राशि

वास्तविक

व्यय

III भू-संरक्षण/वृक्षारोपण कार्य (प्लॉटवार)

क्र.सं.	कार्य	इकाई	प्लॉटवार मात्रा 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
1.	ट्रेंचेज		
	क. कन्टीन्युअस	र.मी.	
	ख. स्टेगर्ड	र.मी.	
2.	कन्टूर डाइक्स	र.मी.	
3.	वी-डिचेज	र.मी.	
4.	फरोज	र.मी.	
5.	चैकडैम		
	क. पत्थर के		
	संख्या नग		
	ख. मिट्टी के		
	संख्या	नग	
	मात्रा	घ.मी.	
6.	खड्डे	नग	
	रोपित पौधों की संख्या	नग	

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ7(5)वसं/परिसूमू/96/561 दिनांक 24.1.1997

परिपत्र संख्या-2

मुख्यालय स्तर की मूल्यांकन इकाइयों द्वारा किए गए विकास कार्य के मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों से ऐसा आभास होता है कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में नियंत्रण अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। इससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में अभी तक विकास कार्यों की कमी के कारण फील्ड स्तर के अधिकारियों को जिम्मेवार समझकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है। परन्तु कार्य की कमी होने पर केवल फील्ड स्तर के अधिकारी ही नहीं बल्कि उनके नियंत्रण अधिकारियों को भी जिम्मेवार माना जावेगा एवं कार्य में कमी की गंभीरता को देखते हुए उप वन संरक्षक एवं वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध विवश होकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लानी पड़ेगी।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र संख्या-3

मूल्यांकन के समय अक्सर यह देखने में आ रहा है कि अधिकांश कार्यों में माप पुस्तिका में दर्ज किए गए कार्य के अनुरूप फील्ड पर कार्य नहीं मिलता है एवं अनेक स्थलों पर कार्य की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की होती है। इन सबका एकमात्र उपाय वन विकास कार्यों का निरन्तर निरीक्षण ही है जिससे ऐसे कार्यों में हो रही कमियों को हम दूर कर सकें। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि प्रदेश के सभी उप वन संरक्षकगण अपने-अपने कार्य क्षेत्र का अधिकाधिक दौरा कर प्रत्येक विकास कार्य का विस्तृत रूप से निरीक्षण करें एवं तत्पश्चात् अपनी निरीक्षण टिप्पणी अधीनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारी को देने के साथ-साथ उसकी प्रति उनके नियंत्रण अधिकारी वन संरक्षक को भी प्रेषित करें। सभी वन संरक्षक कार्यालय में उप वन संरक्षकगणों के द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण टिप्पणी की मॉनिटरिंग की जावे।

इसी प्रकार वन संरक्षकगण अपने कार्यक्षेत्र में स्थित वन मण्डलों का दौरा करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित उप वन संरक्षक को देते हुए उसकी प्रति नियमित रूप से उनके नियंत्रण अधिकारी मुख्य वन संरक्षक को भी प्रेषित करें। वन संरक्षकगणों से प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा प्रत्येक मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में की जावेगी। इसी बारे में यह आग्रह किया जाता है कि मुख्य वन संरक्षकगण भी उनके कार्यक्षेत्र का दौरा कर निरीक्षण टिप्पणी से उनके अधीनस्थ कार्यालय को देते हुए उसकी प्रति मुझे व्यक्तिगत रूप से नियमित रूप से भेजने का प्रबन्ध करें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ07(5)आप्र/वसं/परिसूमू/94/ 749 दिनांक 10.2.1997

विभाग में चम्बल, माही, कडाना व दांतीवाड़ा की नदी घाटी परियोजनाएं एवं साहिबी नदी की बाढ़ग्रस्त परियोजना केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन भू व जल मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में संचालित की जा रही है। इन परियोजनाओं के अधीन जिन उप जल-

ग्रहण क्षेत्रों में कार्य कराया जाना होता है, उनकी कार्ययोजना ''माइक्रो वाटरशेड वाइज'' तैयार की जाकर ''वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट'' उक्त कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जाती है और इनमें स्वीकृत कार्यों को ही कराया जाता है। उक्त सम्बन्धी कार्य वन भूमि, बंजर भूमि व कृषि भूमि पर कराये जाते हैं। बंजर भूमि एवं कृषि भूमि पर वृक्षारोपण संबंधी कार्य कराये जाने के अतिरिक्त बंजर भूमि व कृषि भूमि में कृषि अभियांत्रिकी विकास कार्य कराये जाते हैं।

वृक्षारोपण संबंधी विकास कार्यों का प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन करने संबंधी दिशा-निर्देश इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ7(5)आप्र/वसं/परिसूमू/94/4039 दिनांक 19.11.1996 से जारी किये जा चुके हैं। कृषि अभियांत्रिकी एवं भू संरक्षण कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु उक्त परिपत्र दिनांक 19.11.1996 के बिन्दु संख्या 1 से 8 के दिशा-निर्देश निम्नानुसार एवं शेष निर्देश यथावत रहेंगे :-

1. प्रत्येक ''माइक्रो वाटरशेड'' को ''ड्रैनेज लाइन'' के जलग्रहण अनुसार उपखण्डों में विभाजित किये जावेंगे। कोई भी उपखण्ड 30 हैक्टर क्षेत्रफल से कम नहीं होगा। प्रत्येक उपखण्ड का मानचित्र राजस्व खसरा के अनुसार कंपास सर्वे से तैयार किए जावेंगे और प्रत्येक उपखण्ड में जो कार्य कराये जाने हैं, उनकी स्थिति मानचित्र में चिन्हित की जावेगी। इस प्रकार प्रत्येक उपखण्ड का उपचार-मानचित्र पृथक्-पृथक् तैयार किया जावेगा।
2. जहां पर उपखण्ड की सीमा प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर नहीं बन सकती हो, वहां पर सीमांकन पत्थरगढ़ी या अन्य किसी विधि से किया जावेगा। प्रत्येक कार्य के लिए जॉब संख्या का आवंटन किया जावेगा और प्रत्येक जॉब संख्या के आगे कोष्ठक के अन्दर उपखण्ड की संख्या उल्लेखित की जावेगी।
3. प्रत्येक ''माइक्रो वाटरशेड'' हेतु एक कृषि अभियांत्रिकी कार्ड (संलग्न प्रपत्र) संधारित किया जावेगा। इस कार्ड में उपखण्डवार कराये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा अंकित किया जावेगा। इस कार्ड के साथ प्रत्येक उपखण्ड के एक-एक मानचित्र रखे जावेंगे और जैसे-जैसे कार्य मौके पर पूर्ण होगा, उन कार्यों की स्थिति इस मानचित्र में तत्काल ही चिन्हित कर दी जावेगी। इन कार्यों की क्रमवार संख्या आवंटित कर, इस मानचित्र में उस संख्या का उल्लेख किया जावेगा और वह संख्या मौके पर भी यथास्थान पर प्रदर्शित की जावेगी।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन भवन, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ6(1)स.मू./97/1150 जयपुर दिनांक 28.4.1998

समवर्ती मूल्यांकन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न वन मण्डलों द्वारा करवाये गये वानिकी विकास कार्यों का शत- प्रतिशत मूल्यांकन मुख्यालय की प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जा रहा है। फील्ड में मूल्यांकन के दौरान वृक्षारोपणों के विकास, संधारण एवं सुरक्षा के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर गहन रूप से परीक्षण किया गया और उनका उल्लेख संबंधित मूल्यांकन प्रतिवेदन में किया गया है। वृक्षारोपणों के विकास एवं संधारण के सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं। परन्तु समवर्ती मूल्यांकन के समय वृक्षारोपणों की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। मुख्यतः वृक्षारोपणों में समवर्ती मूल्यांकन के दौरान जो कमियां पाई जाती हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :- जैसे वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे सही ढंग से नहीं किया जाना, फैन्सिंग पूरी एवं प्रभावी नहीं होना, वृक्षारोपण से सम्बन्धित रिकॉर्ड का सही ढंग से संधारण नहीं किया जाना, वृक्षारोपणों के रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर निशादेही नहीं होना, अग्रिम मृदा कार्यों में विभिन्न कार्य आइटमों का सही नाप व मात्रा में नहीं होना, कार्यस्थल के अनुसार मृदा कार्य एवं प्रजातियों का चयन नहीं करना, वृक्षारोपणों की मृदा एवं जल संरक्षण हेतु विभिन्न विधियों जैसे थांवला बनाने, ट्रैन्च, वी-डिच, चैक-डैम, कन्टूर डाइक्स आदि का सही ढंग से बनवाया जाना, निराई-गुड़ाई समय पर नहीं करवाना, माप पुस्तिका एवं मौके पर करवाये गये कार्य आइटमों में भिन्नता, वृक्षारोपणों की सुरक्षा प्रभावी होना एवं मवेशियों की चराई होना, वृक्षारोपणों का समय-समय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करना आदि।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए वृक्षारोपणों को सफल बनाने एवं कराये गये विभिन्न कार्य आइटमों की गुणवत्ता एवं मात्रा सही ढंग से करवाने हेतु निम्न प्रकार दिशा-निर्देश पुनः प्रसारित किये जाते हैं :-

(1) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण स्थलों का चयन करने से पूर्व मौके की स्थिति को देखते हुए उचित प्रकार से मृदा कार्य कराया जावे व रोपित किये जाने हेतु उचित प्रजाति के पौधों का चयन किया जावे व तदनुसार ही क्षेत्र का ट्रीटमेंट प्लान व एस्टीमेट बनाया जावे। यदि इस ट्रीटमेंट प्लान व कार्य मॉडल में कोई विशेष अंतर हो तो एस्टीमेट के तकनीकी नोट में इसका उल्लेख किया जावे व सक्षम अधिकारियों से इसकी स्वीकृति ली जावे।

(2) चयनित वृक्षारोपण स्थल का सर्वे सही ढंग से मौके की स्थिति अनुसार किया जावे और उसी नक्शे के अनुसार ट्रीटमेंट मैप, सोइल मैप आदि तैयार किया जावे।

(3) वृक्षारोपण करते समय 50 हैक्टेयर इकाई का क्षेत्र मौके पर सही ढंग से निशानदेही किया जाकर रखा जाये ताकि क्षेत्र में कराये गये कार्यों का सत्यापन संधारित रिकॉर्ड के अनुसार किया जा सके। यदि मौके की स्थिति को देखते हुए 100 हैक्टेयर क्षेत्र को एक साथ फैन्सिंग के लिए लिया जाता है तो उसका 50-50 हैक्टेयर के भाग मौके पर या तो ट्रैन्च खोदकर उस पर बीजों की बुवाई कर या पत्थरगढ़ी कर या लाइन ट्रैंच आदि जैसा भी मौके की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त हो, किया जाये।

(4) वृक्षारोपण की सफलता पौधों की प्रजाति के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करती है। नर्सरियों में पौध तैयारी का कार्य समय पर एवं वृक्षारोपण स्थलों को देखते हुए सही प्रजातियों के बड़े साइज के स्वस्थ पौधे उपयुक्त मात्रा में तैयार किये जाएं। वृक्षारोपण में बड़े पौधे ही लगाये जाने चाहिये ताकि वृक्षारोपण निर्धारित समय में विकसित एवं सफल हो सके।

(5) अग्रिम मृदा कार्य के अन्दर खड्डे खुदाई, वी-डिच, कन्टूर ट्रैंच, चैकडैम आदि का कार्य तकनीकी रूप से उच्च श्रेणी का करवाया जाये और उनकी मात्रा एवं नाप सही होनी चाहिये।

(6) कार्यस्थलों पर करवाये गये विभिन्न आइटमों की माप पुस्तिका में दर्शाये गये विवरण से मेल होनी चाहिये ताकि मौके की स्थिति रिकॉर्ड में सही ढंग से प्रदर्शित हो सके। वृक्षारोपण से सम्बन्धित रिकॉर्ड जैसे प्लान्टेशन जर्नल, ट्रीटमेंट मैप, सूक्ष्म नियोजन, सोइल मैप आदि सही ढंग से संधारित किया जाये और उसमें वृक्षारोपणों में कराये गये कार्यों का सही उल्लेख किया जाये, जिससे कि मौके पर कराये गये कार्यों की वस्तुस्थिति मालूम हो सके। क्षेत्र में अत्यधिक/कम वर्षा,गर्मी, सर्दी, पाला आदि और इससे वृक्षारोपण पर हुए प्रभाव का विस्तृत उल्लेख होना चाहिये।

(7) वृक्षारोपणों के विकास एवं सुरक्षा में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वन सुरक्षा समितियों के गठन एवं समय-समय पर की जाने वाली बैठकों के रिकॉर्ड को सही ढंग से संधारित किया जाकर निरीक्षण के दौरान मौके पर उपलब्ध कराया जाये। इसी प्रकार क्षेत्र से निकास की गई लघु वन उपज का भी पूर्ण रिकॉर्ड रखा जावे। जन भागीदारी को वन विकास एवं सुरक्षा में सही अंजाम देने हेतु सदस्यों को इन कार्यों के साथ शुरू से लगातार जोड़ा वृक्षारोपणों की सफलता हेतु उनकी समुचित सुरक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है।

वृक्षारोपणों की सुरक्षा की व्यवस्था प्रभावी ढंग से की जाये ताकि लगाये गए पौधे 4 से 5 वर्ष की अवधि में इतने बड़े हो जायें कि उनका मवेशियों आदि द्वारा नुकसान नहीं किया जा सके।

वृक्षारोपणों में लगाये गये पौधों की समय-समय पर निराई-गुड़ाई करने से पौधे की बढ़ोतरी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए लगाये गये पौधों की निराई-गुड़ाई उचित समय की जानी चाहिये।

इसी तरह बीजों की बुवाई से जो पौधे अंकुरित होते हैं, उनमें भी गुड़ाई समय-समय पर किया जाना आवश्यक है ताकि इस तरह उगे पौधे भी अच्छी तरह पनप सकें।

(1) वृक्षारोपण स्थल का अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाये और वृक्षारोपण के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जायें।

(2) वृक्षारोपणों में प्राकृतिक रूप से पनपे पौधे एवं लगाये गये पौधों में आवश्यकतानुसार तकनीकी ढंग से प्रूनिंग, सिंगलिंग (बीज बुवाई के पौधों में) आदि किया जाये ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके और पौधे कम समय में विकसित हो सकें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ7(3)आप्र/वसं/90-91/परिसूमू/ 3569-89 दिनांक 12.8.1999

विषय :- विभागीय वृक्षारोपण के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक एफ8(3)आप्र/वसं/90-91/परिसूमू/2688-749 दिनांक 26.11.1990

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे किन्तु विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य रिपोर्टों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि मूल्यांकन कार्य के निष्कर्ष इस परिपत्र की भावना के अनुरूप नहीं निकाले जा रहे हैं। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों में कतिपय भ्रान्तियाँ हैं। विशेषकर ऐसे वृक्षारोपण क्षेत्र जिनमें जीवित पौधों का प्रतिशत कम पाया जाता है। उक्त परिपत्र में असफलता के कारणों जैसे प्राकृतिक, प्रबन्धकीय एवं तकनीकी कारणों का स्पष्ट विवेचन करने का उल्लेख किया गया है। लेकिन देखने में आया है कि मात्र भौतिक संख्या के आधार पर वृक्षारोपण क्षेत्रों की सफलता अथवा असफलता का वर्गीकरण कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप कई प्रशासनिक पेचीदगियाँ उत्पन्न हो जाने की संभावना बनी रहती हैं। अतः इस परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिये जाते हैं कि आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन द्वारा किसी स्थल विशेष की सफलता अथवा असफलता का आकलन करते समय प्राकृतिक, प्रबन्धकीय एवं तकनीकी कारणों अथवा मानवीय त्रुटियों का स्पष्ट उल्लेख कर उनका विवेचन किया जावे, ताकि इस आधार पर जाँच के उपरान्त कम जीवित पौधे पाये जाने वाले क्षेत्रों का सही एवं तथ्यात्मक वर्गीकरण संभव हो सके तथा इस ही आधार पर वृक्षारोपण क्षेत्रों को सफल अथवा असफल घोषित किया जा सके।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.9.1999

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 316 दिनांक 26.9.1994 द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे वृक्षारोपण कार्यों के शत-प्रतिशत मूल्यांकन के संबंध में दिशा-निर्देश प्रचलित किये गये थे। तत्पश्चात् इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4039 दिनांक 19.11.1996 एवं 5331 दिनांक 22.8.97 तथा 1150 दिनांक 28.4.98 द्वारा इस सम्बन्ध में अग्रिम निर्देश जारी कर मूल्यांकन कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अब तक किये मूल्यांकनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वृक्षारोपण कार्य में सुधार करे जाने बाबत् निर्देश प्रसारित किये गये। उक्त निर्देशों

की अनुपालना में वर्तमान में इस कार्यालय के अधीन मुख्यालय पर कार्यरत राज्य स्तरीय आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन के निर्देशन में चयनित वन मण्डलों के चयनित वृक्षारोपणों के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है।

समवर्ती मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया में सर्वप्रथम समवर्ती मूल्यांकन करे जाने हेतु वन मण्डल का चयन रैण्डम पद्धति से इस कार्यालय द्वारा किया जाकर उस वन मण्डल में चालू वृक्षारोपण वर्ष एवं उससे पूर्व के वृक्षारोपण वर्ष में उस वन मण्डल में किये गये समस्त वृक्षारोपण स्थलों की सूची प्राप्त की जाती है। उक्त दोनों वर्षों के एक-एक वृक्षारोपण का चयन रैण्डम प्रणाली से वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन स्तर पर किया जाता है। उक्त वृक्षारोपण स्थल में माप पुस्तिका के अनुसार कराये गये समस्त वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन मौके पर किया जाता है। समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वन मण्डल को इस आशय की सूचना मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व ही दी जाती है यद्यपि गोपनीयता हेतु चयनित वृक्षारोपण के नाम की सूचना उन्हें मूल्यांकन दल के पहुँचने पर ही दी जाती है। वृक्षारोपण के चयन के उपरान्त इस कार्यालय के मूल्यांकन दल द्वारा सर्वप्रथम वृक्षारोपण स्थल का घूम-फिर कर निरीक्षण किया जाता है एवं इस दौरान वृक्षारोपण स्थल के बारे में लिये गये प्रेक्षणों के आधार पर एक पंचनामा बनाया जाता है इसके पश्चात् गणना/मापन दलों का गठन किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन दल के सदस्यों के साथ-साथ स्थानीय कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार गठित दलों द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये समस्त जीवित पौधों, मृत पौधों, खाली गड्ढों एवं स्टेगर्ड कंटूर ट्रैंचों की गणना की जाकर सफेद पाउडर से चिन्हित किया जाकर गणना प्रपत्रों में इन्द्राज किया जाता है। वृक्षारोपण क्षेत्र में खुदवाई गई लगातार कंटूर ट्रैंचों-वीडिचों, कंटूर डाइकों एवं चैकडैमों की माप ली जाकर गणना प्रपत्र में दर्ज की जाकर अस्थाई नंबर अंकित किया जाता है तथा सफेद पाउडर से चिन्हित भी किया जाता है। वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे मूल्यांकन दल के सर्वेयर द्वारा स्थानीय कर्मचारियों द्वारा इंगित की गई सीमाओं/बाड़ के सहारे-सहारे ही चैन एवं कम्पास पद्धति द्वारा किया जाता है। सर्वे के साथ-साथ ही वृक्षारोपण के चारों ओर की गई प्रत्येक प्रकार की बाड़ की माप भी रनिंग मीटर की जाती है तथा प्रत्येक 100 मी. के अन्तराल पर बाड़ की अनुप्रस्थ काट की माप भी ली जाती है। उपरोक्तानुसार मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् स्थानीय कर्मचारियों को साथ लेकर समस्त वृक्षारोपण क्षेत्र का एक बार पुनः निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र में कराया गया कोई भी मापन/गणना कार्य सफेद पाउडर से चिन्हित हुए बिना तो नहीं रह गया है, अर्थात् गणना/माप में सम्मिलित होने से छूट तो नहीं गया है। उपरोक्तानुसार पुनर्निरीक्षण के उपरान्त एक बार पुनः कार्य समाप्ति/पूर्ण होने का पंचनामा बनाया जाता है तथा इस पंचनामें में यह भी अंकित कर दिया जाता है कि प्रत्येक कार्य के माप/गणना में कितने प्रपत्र प्रयोग में लिये गये हैं। इस पंचनामे एवं प्रत्येक गणना प्रपत्र पर उपलब्ध स्थानीय कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण का मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात् मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर वापिस आने के उपरान्त ही संकलन कार्य किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति वृक्षारोपण से सम्बन्धित वन मण्डल के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी तथा उनके नियन्त्रण अधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक को भेजी जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वृक्षारोपण में पायी गई खामियों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होने देने के लिए आवश्यक उपाय करें एवं वृक्षारोपण कार्य के संपादन में पायी गई गम्भीर कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्तानुसार अपनायी जा रही मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों के आधार पर इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रसारित दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार दिशा-निर्देश और प्रचलित किये जाते हैं:-

समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वन मण्डल एवं रेंज का नाम मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करे जाने की प्रस्तावित तिथि से, पूर्व की भांति, एक सप्ताह पूर्व सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को सूचित किया जाकर मूल्यांकन दल के आगमन की प्रस्तावित तिथियों से अवगत कराया जायेगा। गोपनीयता बरतने की दृष्टि से समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल का नाम मूल्यांकन दल के वन मण्डल मुख्यालय पर पहुँचने के उपरान्त ही सम्बन्धित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक को अवगत कराया जायेगा। मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर पहुँचने एवम् मूल्यांकन करे जाने वाले वृक्षारोपण का नाम अवगत करा दिये जाने के उपरान्त इस वृक्षारोपण में किसी भी प्रकार का विकास कार्य मूल्यांकन अवधि के दौरान नहीं करवाया जावेगा। यदि पूर्व से ही कोई कार्य जारी है तो उसे भी मूल्यांकन अवधि के लिये स्थगित कर दिया जावे। सम्बन्धित उप वन संरक्षक से यह अपेक्षित है कि मूल्यांकन दल के वन मण्डल मुख्यालय पर पहुँचने की प्रस्तावित तिथि के दिन वे यथासंभव स्वयं मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा मूल्यांकन दल को वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करायें। यदि अपरिहार्य कारणों से उप वन संरक्षक स्वयं उपस्थित नहीं रह सके तो

अपने सहायक वन संरक्षक को इस कार्य हेतु अवश्य ही पाबन्द करें।

उपरोक्तानुसार समवर्ती मूल्यांकन की सूचना दिये जाने वाले पत्र में ही यह भी अंकित कर दिया जावेगा कि वृक्षारोपण के मूल्यांकन हेतु कितने गणना दलों का गठन किया जावेगा। सम्बन्धित उप वन संरक्षक, वृक्षारोपण से सम्बन्धित क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों को, मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन दल के साथ रहने हेतु पाबन्द करेंगे। यदि उप वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी उचित समझें तो मूल्यांकन दल हेतु गठित प्रत्येक गणना/मापन दल के साथ कार्य प्रभारी के अतिरिक्त आवश्यक संख्या में अतिरिक्त कर्मचारियों (जो उनकी वन मण्डल/रेंज में कार्यरत हों) की ड्यूटी भी अल्प समय के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से लगा दी जावे कि प्रत्येक गणना दल के साथ वन मण्डल का एक कर्मचारी गणना के समय लगातार साथ-साथ रहे, गणना कार्य से पूर्णतः सन्तुष्ट एवं सहमत होकर प्रतिदिन गणना के समय लगातार साथ-साथ रहे, गणना कार्य से पूर्णतः सन्तुष्ट एवं सहमत होकर प्रतिदिन गणना शीट पर सहमति के प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करे। इस आधार पर ही वृक्षारोपण से सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी प्रत्येक गणना प्रपत्र पर करवाये जावेंगे। यदि अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये गये, तो कार्य प्रभारी ही गणना कार्य से सन्तुष्ट एवं सहमत होकर समस्त गणना शीटों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह स्वयं कम से कम एक बार मूल्यांकन कार्य कराये जा रहे वृक्षारोपण का मूल्यांकन के दौरान ही निरीक्षण कर ले एवं एक बार अपने सहायक वन संरक्षक से निरीक्षण करा लेवें ताकि यदि मूल्यांकन कार्य में कोई खामी पायी जावे तो उसका तत्काल ही सुधार करवा लिया जावे। इस सम्बन्ध में स्थानीय स्टाफ एवं मूल्यांकन दल के सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद होने की स्थिति में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के साथ वार्ता कर निराकरण किया जावे अथवा वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन को सूचित किया जावे। मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जायेगा।

पूर्व में प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में ही पुनः व्यार्दिष्ट किया जाता है कि इस विभाग द्वारा समय-समय पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित रिकॉर्ड के संधारण के क्रम में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वृक्षारोपण से सम्बन्धित निम्न रिकॉर्ड में से जितना भी संधारित किया गया हो, वह मूल्यांकन दल को उपलब्ध कराया जावे।

(1) सर्वे मैप, सोइल मैप, ट्रीटमेंट मैप।

(2) तकनीकी टिप्पणी अथवा ट्रीटमेंट प्लान।

(3) प्राक्कलन

(4) प्लांटेशन जर्नल/प्लांटेशन कार्ड।

(5) माइक्रो प्लान

(6) माप पुस्तिका

(7) वृक्षारोपण से प्राप्त लघु वन उपज के वितरण सम्बन्धित अभिलेख।

मूल्यांकन दल संपादित भौतिक कार्य के शत-प्रतिशत मूल्यांकन के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का भी वस्तुनिष्ठ आकलन (Objective Assessment) करेगा :-

(क) वृक्षारोपण कार्य के सम्पादन एवं सुरक्षा में जन सहभागिता : इस सम्बन्ध में यह देखा जायेगा कि ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित की गई है अथवा नहीं तथा इससे सम्बन्धित अभिलेखों जैसे समिति की समय-समय पर बुलाई गई बैठकों का विवरण, समिति का बैंक खाता, समिति द्वारा संपादित विकास कार्य, यदि कोई हो, के अभिलेख तथा समिति के माध्यम से वितरित की गई लघु वन उपज का अभिलेख आदि का अवलोकन किया जायेगा। साथ ही यह भी आकलन किया जायेगा कि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर प्रचलित दिशा-निर्देशों की कहाँ तक पालना की गई है।

(ख) वृक्षारोपण के अंदर अथवा आस-पास वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति तथा वृक्षारोपण की बाहरी सीमा वन क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ यथासंभव बनाये जाने के निर्णय की पालना की स्थिति।

(ग) वृक्षारोपण का नाम पट्ट (साइन बोर्ड) इस कार्यालय द्वारा प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार होना।

(घ) वृक्षारोपण क्षेत्र की स्थिति मय नजरी नक्शा।

(च) मृदा एवं धरातल की संरचना।

(छ) प्राकृतिक वनस्पति।

(ज) वृक्षारोपण क्षेत्र में पूर्व में यदि कोई कार्य हुआ हो तो उसकी स्थिति का विवरण।

(झ) वृक्षारोपण क्षेत्र में नये संपादित किये गये दृष्टिगोचर होने वाले कार्य।

(ट) पौधों के चारों ओर थांवले बनाये जाने एवं उसके डोले पर बीजारोपण की स्थिति।

(ठ) पौधों के चारों ओर यदि निराई-गुड़ाई/प्रूनिंग किए जाने के चिन्ह प्रकट होते हों तो उसका विवरण।

(ड) कंटूर, ट्रैंचों, वीडिचों के डोले पर एवं डाइक तथा बाड़ के सहारे बीजारोपण एवम् उससे उगे पौधों की स्थिति का विवरण।

(ढ) वृक्षारोपण क्षेत्र में नॉचेज बनाकर किया गया बीजारोपण अथवा कंटूर फरोज बनाकर घास के बीजारोपण की स्थिति।

(ण) कट बैक ऑपरेशन अथवा प्राकृतिक पौधों के थांवले बनाया जाना अथवा मूंजारोपण,आईपोमिया या रतनजोत कटिंग कार्यों की स्थिति।

वृक्षारोपण कार्यों के गुणात्मक आकलन हेतु निम्न तथ्यों का प्रेक्षण किया जावेगाः-

(1) बाड़ की प्रभाविता।

(2) प्रजातियों का चयन एवं उनकी बढ़त।

(3) वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्य की एकरूपता एवं अन्तराल।

(4) कार्यस्थल का चयन।

(5) कंटूर ट्रैंचों, वीडिचों कंटूर डाइक इत्यादि का ले-आउट एवं परस्पर अंतराल।

(6) चैकडैमों की बनावट एवं परस्पर अंतराल तथा तकनीकी उपचार पूर्ण हैं अथवा नहीं।

(7) वृक्षारोपण क्षेत्र में यदि कोई नुकसान हो तो उसके सम्भावित कारण एवं उन्हें दूर करने के समयानुकूल उपाय।

(8) क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से उगी घास एवं वनस्पति के विकास की स्थिति।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4039 दिनांक 19.11.96 द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र के उपखण्डों में विभाजित करने के आदेशों के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार बनाये गये उपखण्डों के नम्बर अंकित किये जावें तथा प्रत्येक उपखण्ड में करवाये गये कार्य की मात्रा का विवरण प्लांटेशन कार्ड में दर्ज किया जावे। अतः मूल्यांकन कार्य के अन्तर्गत किया जाने वाला गणना का कार्य जैसे जीवित/मृत पौधों की गणना, समान साइज की स्टेगर्ड कंटूर ट्रैंचों की गणना आदि कार्य भी उपखण्डवार किया जावेगा। पौध गणना में थांवले युक्त रोपित जीवित पौधों की प्रजातिवार गणना की जावेगी तथा थांवले युक्त खाली खड्डों को मृत पौधा मानकर गणना की जावेगी। थांवले रहित खाली खड्डों के संबंध में यह माना जावेगा कि वे पौधारोपण से छूट गये हैं तथा खाली खड्डे के रूप में गणना की जावे। बीजारोपण से उगे पौधों अथवा प्राकृतिक पौधों के चारों ओर बनाये गये थांवलों की गणना नहीं की जावेगी। क्षेत्र में कराये गये अन्य मापन योग्य कार्य जैसे कंटूर ट्रैंच (लगातार), कंटूर डाइक, चैकडैम, बाड़ इत्यादि की माप पूर्ववत् समस्त वृक्षारोपण क्षेत्र को इकाई मानकर की जावेगी। किन्तु प्रत्येक कार्य पर अस्थाई नंबर अंकित किया जावेगा। कंटूर ट्रैंचों/वीडिचों की लम्बाई की ही माप रनिंग मीटर में की जावेगी। अनुप्रस्थ काट की माप नहीं ली जावेगी। कंटूर डाइक की लम्बाई की माप के साथ-साथ प्रारम्भ एवं अंत के साथ-साथ प्रत्येक 25 मीटर के अन्तराल पर अनुप्रस्थ काट की माप भी ली जावेगी। चैक डेम की लम्बाई

(नाले की चौड़ाई) की माप दो स्थानों पर (टॉप एवम् बॉटम) ऊंचाई (नाले की गहराई) की माप तीन स्थानों (दोनों किनारों एवं मध्य में) तथा मोटाई की माप भी तीन स्थानों (दोनों किनारों एवं मध्य) में ली जावेगी। प्रत्येक प्रकार के बाड़ों की लम्बाई की माप रनिंग मीटर में ली जावेगी तथा प्रत्येक 100 मीटर के अन्तराल पर अनुप्रस्थ काट की माप ली जावेगी। यदि वृक्षारोपण क्षेत्र को उपखण्ड में विभाजित नहीं किया गया हो तो मूल्यांकन दल के सदस्य सुविधानुसार क्षेत्र को स्तर पर चूने पाउडर से उपखण्डों में विभाजित करेंगे। यदि वृक्षारोपण क्षेत्र को कार्य संपादन के समय उपखण्ड में विभाजित नहीं किया गया हो, किन्तु मूल्यांकन के समय तक उपखण्डों की सीमाएं मिट गई हों अथवा अस्पष्ट हों तो मूल्यांकन दल द्वारा उक्त सीमाओं को पुनः सफेद चूना पाउडर से चिन्हित करवाया जाकर गणना कार्य उपखण्डवार कराया जावेगा। मूल्यांकन कार्य प्रगतिरत रहने अथवा समाप्त होने के पश्चात् मूल्यांकन दल के प्रभारी द्वारा कम से कम रैंडमली चयनित एक उपखण्ड की पुनः गणना करवाई जावेगी तथा मापन योग्य कार्यों की भी स्वयं द्वारा पुनर्माप यथा योग्य उचित संख्या में की जावेगी। वृक्षारोपण से सम्बन्धित क्षेत्रीय अथवा सहायक वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक भी मूल्यांकन के दौरान उपरोक्तानुसार किसी भी उपखण्ड में पुनः गणना/माप कार्य मूल्यांकन दल की उपस्थिति में कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार किये गये पुनर्गणना/ पुनर्माप कार्य पर मूल्यांकन के गणनकर्ता एवं प्रभारी क्षेत्रीय के हस्ताक्षर बतौर सहमति करवाये जावें।

मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाने एवं कार्य समाप्ति का पंचनामा बन जाने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी के चाहे जाने पर वृक्षारोपण के मूल्यांकन में प्रयुक्त समस्त गणना/माप प्रपत्रों की फोटो प्रति मूल्यांकन दल के प्रभारी द्वारा वन मण्डल से सम्बन्धित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक को उपलब्ध करायी जावेगी।

मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर लौटने के उपरान्त आंकड़ों का संकलन किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाया जावेगा जिसमें वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों का उपरोक्तानुसार रूप से समावेश होगा। पूर्णरूप से संकलित मूल्यांकन प्रतिवेदन उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन द्वारा वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन/मुख्य वन संरक्षक (विकास) के माध्यम से निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाकर प्रति सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी एवं उनके नियन्त्रण अधिकारियों वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की जायेगी जिनका यह दायित्व होगा कि मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शायी गई खामियों को दूर करने के प्रयास करें तथा गंभीर त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी को चिन्हित कर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप कोई प्रारम्भिक जांच संपादित की जाती है तो भी मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त पुनः गणना कार्य कदापि नहीं किया जावे वरन् समवर्ती मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाये गणना कार्य के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन एवं अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कराये जावें।

मूल्यांकन प्रतिवेदन के गत दो वर्षों का यह अनुभव रहा है कि मूल्यांकन कार्य में कमी पाये जाने वाले प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही जैसे दोषी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना इत्यादि, अपेक्षित तत्परता से नहीं की जाती है जिस कारण इस महत्वपूर्ण कार्य की उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है एवं विभाग की संवेदनशील एवं साख पर भी आंच आ सकती है, अतः इस संबंध में यह निर्णय भी लिया गया है कि समवर्ती मूल्यांकन के गम्भीर प्रकरणों एवं अनियमितता बरतने वाले प्रकरण में प्रारम्भिक जांच अधिकारी इस कार्यालय स्तर से ही नियुक्त कर दिया जावेगा जो अधिकतम तीन सप्ताह में प्रारम्भिक जांच संपादित कर दोषी लोक सेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें। इसमें शिथिलता बरतने को गंभीर दृष्टि से देखा जावेगा।

प्रगतिरत कार्यों का समवर्ती मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन विभाग में वृहद् स्तर पर कराये जा रहे विकास कार्यों की निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक है। अतः उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पूर्णतया पालना सभी सम्बन्धितों के द्वारा सुनिश्चित की जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ6( )स.मू./2001/वसं/तेपयो/ 1664 दिनांक 2.7.2001

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या एफ( )प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.9.1999 द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के तहत कार्यस्थल पर सम्पादित समस्त कार्यों, जैसे विभिन्न प्रकार की बाड़, खड्डे खुदाई, पौधारोपण, कन्टूर ट्रैंच, वी-डिच, कन्टूर डाइक्स, पत्थर एवं मिट्टी के चैकडैम एवं मिट्टी की अन्य संरचनाओं (डोला व पेरिफेरल बन्ड्स आदि) का भी शत-प्रतिशत मापन/भौतिक सत्यापन किया जाता है। अधीनस्थ वन अधिकारियों द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाया जाता है कि कार्यस्थलों पर बनाई गयी मृदा की संरचनाओं जैसे मृदा के चैकडैम, डोला एवं पेरिफेरल बन्ड्स (मेड़बन्दी) के आयतन में, इनके निर्माण के कुछ समय पर्यन्त (विशेषकर एक वर्षा ऋतु के बाद), वर्षा/हवा/आंधी आदि प्राकृतिक कारणों से कमी होना स्वाभाविक है।

इस कार्यालय अधीन प्रबोधन एवं आयोजना इकाई सहित किसी भी मूल्यांकन दल द्वारा मृदा संरचनाओं का मापन, सामान्यतः मृदा संरचनाओं के निर्माण के कम से कम एक वर्षा ऋतु पर्यन्त ही किया जाना सम्भव हो पाता है। कभी-कभी एक-दो वर्ष पश्चात् भी मृदा संरचनाओं का मापन किया जाता है। उक्त अन्तराल के पश्चात् मृदा संरचनाओं के मापन किए जाने पर आलोच्य प्राकृतिक कारणों से इनके आयतन में, कमी पायी जाना स्वाभाविक है और इस प्रकृतिजन्य कमी के प्रति किसी भी लोक सेवक को उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत नहीं है।

चूंकि उक्त संरचनायें, मिट्टी के कच्चे काम होते हैं और इनमें वर्षा के पश्चात् मिट्टी का भराव/कटान हो जाने से इनके आयतन में कमी आना स्वाभाविक है, अतः विचारोपरान्त, इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 29.9.99 के क्रम में एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त मृदा की संरचनाओं का भौतिक सत्यापन, कार्य संपादन के तुरन्त बाद, विशेषतः वर्षा से पहले ही, संबंधित वन संरक्षक, अपने तकनीकी सहायक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इन मृदा संरचनाओं संबंधी कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

समवर्ती मूल्यांकन दल द्वारा क्षेत्र में मृदा के चैकडैम, डोला व पेरिफेरल बन्ड्स (मेड़बन्दी) का मापन न कर, वृत्त स्तरीय सत्यापन के सारांश, अपने प्रतिवेदन में समाविष्ट कर, इनकी वर्तमान स्थिति, उपयोगिता एवं प्रभाविता के संबंध में टिप्पणी दी जावेगी। समवर्ती मूल्यांकन दल द्वारा उक्त मृदा संरचनाओं के अतिरिक्त, क्षेत्र में हुए अन्य समस्त कार्यों का पूर्ववत् शत-प्रतिशत गणना/मापन सत्यापन किया जाता रहेगा।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ( )प्रमुवसं/राज/प्रचार/2003/223 -343 दिनांक 18.8.2003

निमित्त :- समस्त वनाधिकारीगण

विषय :- विकास कार्यों के छायांकन के क्रम में।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि सामान्यतया वानिकी कार्य, आवासीय बस्तियों से दूर कराए जाते हैं तथा इनके परिणाम भी कुछ वर्षों बाद परिलक्षित होते हैं। इस कारण अनेक बाह्य मूल्यांकन दलों तथा संसद एवं विधानसभा की जन लेखा समितियाँ, वित्त प्रदाता संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं आम जनता के समक्ष विभागीय कार्यों की उपलब्धियों सम्बन्धी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है एवं विभागीय पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।

इस वर्ष प्रदेश में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक हुई है। इससे आपके कार्य क्षेत्रों में विगत वर्षों में बनाई गई जल संरचनाएँ तथा एनिकट, तलाई आदि

अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक भर गई होगी। इसके अतिरिक्त पौधारोपण कार्य भी श्रेष्ठ किस्म का हुआ होगा तथा वन क्षेत्र का विकास भी तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में होगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि आप एक अथवा दो रोल में अपने कार्य क्षेत्र में निर्मित जल संरचनायें एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का छायांकन करवाकर स्थान एवं तिथियुक्त छायाचित्रों का एक एलबम चालू वर्ष का तैयार कर लेवें। यदि इनसे आम जनता को केवल कराए गये कार्यों की उत्कृष्टता एवं पारदर्शिता का साक्ष्य होगा अपितु मूल्यांकन दलों को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वन मण्डल के लिए ऐसा एक एलबम प्रतिवर्ष तैयार किया जाना चाहिए। यथासंभव ऐसे श्रेष्ठ स्थानों और उपलब्धियों को स्थानीय प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानकारी में भी लाया जाना चाहिए।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक,
विकास एवं साझा वन प्रबन्ध,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ7(24)02-03/विभा.वृक्षा.का./ प्रमुवसं/10401 दिनांक 31.3.2004

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ()2002/ते.प./स.मू./2290 दिनांक 18.11.2002 द्वारा गठित समिति की अभिशंषा अनुसार, विभिन्न वानिकी विकास कार्यों के मूल्यांकन की अवधि एवं मूल्यांकन के परिणाम के स्थानीय प्राकृतिक, जैविक, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय प्रभावी कारकों के परिवेश में विश्लेषणोपरांत विकास कार्यों की गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में, अब से पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या 348-79 दिनांक 8.2.80 पत्रांक एफ22(2)86/विकास/मुवसंज/6848-6966 दिनांक 25.4.85 एवं पत्र क्रमांक एफ7(3)आ.प्र./व.सं./ परि.मू.सू./90-91/ 2688-749 दिनांक 26.11.90 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों को अधिलंघित करते हुए एतद् द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैंः-

1. पौधारोपण के पश्चातवर्ती तीन वर्षों (अर्थात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष) में जीवितता प्रतिशत विस्तृत गणना द्वारा ज्ञात की जावेगी।
2. प्रत्येक कार्य प्रभारी (वन रक्षक/सहायक वनपाल) एवं वनपाल द्वारा सम्मिलित रूप से वृक्षारोपण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष के माह अप्रैल में पौधों की उपखण्डवार शत-प्रतिशत गणना कर, जीवितता प्रतिशत का आकलन किया जावेगा। वृक्षारोपणवार गणना कार्य पूर्ण होते ही गणना प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को समय-समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को प्रस्तुत की जावेगी। कार्य प्रभारी अपने अधीन समस्त संबंधित वृक्षारोपण क्षेत्रों की गणना अप्रैल में ही पूर्ण करेंगे।
3. कार्य प्रभारी एवं वनपाल से गणना प्रतिवेदन प्राप्ति के साथ ही (प्रत्येक गणना वर्ष के माह अप्रैल-मई में) संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्षों की, प्रत्येक कार्यस्थल की गणना के क्रमशः 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र में जांच करेंगे। गणना करने हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र को उपखण्डों में विभाजित कर रैण्डम पद्धति से 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर उपखण्डों का चयन करेंगे। उप खण्डों का चयन करते समय क्षेत्र के ढलान व उपजाऊ क्षमता आदि का ध्यान रखते हुए सभी प्रकार के क्षेत्रों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उपखण्डों का चुनाव पौधारोपण के घनत्व के अनुरूप करेंगे यानी, जिस भाग में अधिक पौधे रोपित किये गये हों उनमें अधिक उपखण्ड चयनित किये जावें एवं जिन भागों में कम पौधे रोपित किये हों उन क्षेत्रों में लगभग उसी अनुपात में कम उपखण्ड चयनित किये जावें। कार्यस्थलों की जांच के एक सप्ताह में गणना रिपोर्ट क्रमवार समय-समय पर वन मण्डल कार्यालय में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती रहेगी कि क्षेत्र स्तरीय समस्त प्रतिवेदन माह मई के अन्त तक मण्डल कार्यालय को प्रेषित कर दी जावें।

4. क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने प्रतिवेदन में, जीवितता प्रतिशत को प्रभावित करने वाले मुख्य स्थानीय कारकों (Locality Factors) प्राकृतिक, जैविक आदि कारणों (यदि कोई हों) और वनस्पति संवर्धन, केज्यूअल्टी-रिप्लेसमेन्ट/बीजारोपण/प्रूनिंग आदि सुधार कार्यों, यदि आवश्यक हों तो, उनका उल्लेख करेंगे। इस प्रकार के आवश्यक कार्यों का सम्पादन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्रेरित कर उनके सहयोग से, कार्य प्रभारित कर्मियों के माध्यम से एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर, करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

5. वन मण्डल कार्यालय में आलोच्य गणना का संलग्न प्रपत्राधीन (रजिस्टर/कम्प्यूटर में) वृक्षारोपणवार अभिलेख रखा जावेगा।

6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रत्येक विकास/वृक्षारोपण कार्य के लिए प्लान्टेशन जर्नल संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्लान्टेशन जर्नल में भी क्षेत्रीय द्वारा उक्त गणना आधारित जीवितता प्रतिशत का लेखा जोखा एवं संबंधित विकास/वृक्षारोपण स्थल पर सम्पादित कार्यों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक (जैसे अनावृष्टि/अतिवृष्टि, पाला, चक्रवात, ओलावृष्टि) एवं जैविक (जैसे चूहे, खरगोश, दीमक, सेही, रोजड़ा एवं बन्दर आदि के प्रकोप) आदि कारणों की अपरिहार्य क्षति से संबंधित सम्पुष्ट प्रमुख कारकों का आधार युक्त विस्तृत उल्लेख भी किया जावेगा।

7. रोपण उपरान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष की गणना से यदि, रोपित पौधों की जीवितता जब कभी भी 40 प्रतिशत से कम हो तो, सहायक वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक द्वारा यथाशीघ्र निरीक्षण कर तथ्यान्वेषणोपरान्त, उच्चाधिकारियों को अगले 30 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि, अपेक्षित से ज्यादा पौधे मर जाने का कारण मानवीय गलती रहा होना प्रकट हो तो संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उप वन संरक्षक की होगी। परन्तु जिम्मेदारी अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे वृक्षारोपण क्षेत्र की शत प्रतिशत गणना कर लेना उचित होगा।

8. रोपण के पश्चात्वर्ती चौथे वर्ष एवं उसके उपरान्त क्षेत्र में विकास हेतु किये गये कार्यों की गुणवत्ता का निर्धारण, क्षेत्र में प्रभावी रहे प्राकृतिक, जैविक आदि कारकों के मद्देनजर, क्षेत्र में सम्पादित प्रत्येक गतिविधि, यथा-बाड़बन्दी, वृक्षारोपण, बीजारोपण, विकृत प्राकृतिक वनस्पति में की गई वनवर्धन क्रियाएँ (जैसे कटबैक, सिंगलिंग, प्रूनिंग आदि) तथा भू एवं जल संरक्षण आदि के एकीकृत प्रभाव के फलस्वरूप क्षेत्र में हुए वानस्पतिक विकास के आधार पर किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

संलग्न : प्रपत्र

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

गणना परिणाम व कार्यवाही विवरण

नाम रेंज ..... नाम वृक्षारोपण ..... वृक्षारोपण वर्ष ..... क्षेत्रफल .....

योजना ..... रोपित पौधों की संख्या .....

गणना कार्य का वर्ष	गणना की अवधि	कार्य प्रभारी या वनपाल द्वारा पाया गया जीवितता प्रतिशत	क्षेत्रीय द्वारा पाया गया जीवितता प्रतिशत	जीवितता को प्रभावित करने वाले कारक/ क्षति का विवरण जिनकी सम्पुष्टि अभिलेख आधारित हो	सुधार हेतु की गई कार्यवाही
प्रथम वर्ष संधारण					
द्वितीय वर्ष संधारण					
तृतीय वर्ष संधारण					

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ ( )04/विकास/प्रमुवसं/1276 दिनांक 1.6.2004

वृक्षारोपण क्षेत्र में साधारणतया लोहे के बोर्ड लगाए जाकर वृक्षारोपण का नाम, वर्ष, क्षेत्रफल एवं अन्य वृक्षारोपण संबंधी सूचनाएं उस सूचना पट्टी पर लिखी जाती है। गैर वन क्षेत्र में गांव के नाम पर वृक्षारोपण का नाम रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु वन क्षेत्र में जहां भी वृक्षारोपण किया जाय वहां सूचना पट्टी पर जहां वृक्षारोपण कार्य हो रहा है, उस वन खण्ड का नाम एवं कम्पार्टमेंट नम्बर भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे ताकि बाद में रेंज एवं मण्डल स्तर पर कम्पार्टमेंट हिस्ट्री लिखने में सुविधा रहे। वैसे भी वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टि से कम्पार्टमेन्ट न्यूनतम इकाई है। प्लान्टेशन को बीटगार्ड अपने बीट मैप पर भी दर्शाने का पूरा प्रयास करेगा। यह उल्लेखनीय है कि अब भी वृक्षारोपण स्थल पर आदेशों के विपरीत अग्रिम कार्य को वित्तीय वर्ष के रूप में दर्शाया जा रहा है जो अनुचित है। केवल वृक्षारोपण कलैन्डर वर्ष का ही उल्लेख होना पर्याप्त है।

हस्ताक्षर/-
(अभिजीत घोष)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास), राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ( )04/विकास/प्रमुवसं/ 1154 दिनांक 1.6.2004

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ वृक्षारोपण क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। इन कार्यों के फलस्वरूप वर्षा का जल भूमि में नमी बढ़ाने के साथ-साथ भू-जल स्तर की बढ़ोतरी में भी सहायक हैं। जल संरक्षण के कारण निश्चित रूप से वृक्षारोपण क्षेत्र के समीप नीचे रहने वाले ग्रामवासियों को काफी लाभ होता है। उनके बोरवेल/कुओं में जलस्तर की गिरावट रुकने के साथ ही जल स्तर ऊपर की ओर भी बढ़ता है। इसी प्रकार जल संरक्षण हेतु जहां पर एनिकट, चैकडैम आदि बनाये जा रहे हैं, उस क्षेत्र में भी इस प्रकार से लाभ आवश्यक रूप से मिलते हैं। वृक्षारोपण के समीपवर्ती क्षेत्रों में भू-जल स्तर पर पड़े प्रभाव के आवश्यक आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध न होने के कारण वृक्षारोपणों से इस प्रकार प्राप्त लाभ प्रतिबिम्बित नहीं हो रहा है।

अतः प्रत्येक वन मण्डल में किये गये प्लान्टेशन या जल संरक्षण कार्य के आस-पास कुओं के जल स्तर को 15 जून एवं 15 दिसम्बर को वर्ष में दो बार नापा जाकर इसका लेखा-जोखा प्लान्टेशन जर्नल में रखा जावे। नवीन वृक्षारोपण, एनिकट, अर्दन डैम आदि के निर्माण से पूर्व समीपवर्ती क्षेत्र में कुओं का जल स्तर नाप कर अंकित किया जावे। विभिन्न वृक्षारोपणों से प्राप्त आंकड़ों को एकजाई रूप से मण्डल में संधारित एक रिकॉर्ड में रखा जावे जिसमें वार्षिक वर्षा के आंकड़ों का भी उल्लेख किया जावे ताकि परोक्ष रूप से प्लान्टेशन क्षेत्रों से उपलब्ध लाभ के बारे में आम जनता को जानकारी कराई जा सके।

हस्ताक्षर/-
(अभिजीत घोष)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास), राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ18()2000/जाँच/प्रमुवसं/ 2620 दिनांक 12.7.2004

प्रायः यह पाया जाता है कि वन मण्डलों के अधीन क्षेत्रों में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का एक वर्ष या अधिक अवधि पश्चात् किये गये मूल्यांकन/शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के आधार पर वृक्षारोपण एवं इससे संबंधित गतिविधियों के कार्यों में कमी पायी जाने पर वनाधिकारियों द्वारा इसकी प्रारम्भिक जाँच करते समय इस कार्यालय द्वारा मूल्यांकन के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है। वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रभावी रहे प्राकृतिक एवं जैविक आदि कारकों को ध्यान में नहीं रखते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट में गणना परिणाम के फलस्वरूप पाये गये कम कार्य के संबंध में संबंधित लोकसेवकों के विरुद्ध कम कार्य कराये जाने के बारे में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाती है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। पौधारोपण के एक वर्ष या अधिक अवधि पश्चात् प्राकृतिक एवं जैविक कारणों से मृदा कार्यों का सही आकलन किया जाना संभव नहीं होता है और इस अपरिहार्य कमी से संबंधित सभी प्रमुख कारकों का आधार युक्त विवेचन किये जाने के उपरांत ही किसी भी लोकसेवक को कम कार्य कराने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः समस्त वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में वृक्षारोपण कार्यों में कमी (उन कार्यों को छोड़कर जिसका सत्यापन कालांतर में भी सुनिश्चितता के साथ किया जा सकता है) के बारे में तभी अनुशासनिक कार्यवाही की जावे जबकि उस वृक्षारोपण का मूल्यांकन वृक्षारोपण के तुरंत बाद एक वर्ष के भीतर किये जाने पर कार्य में कमी पायी गयी हो अथवा बाद में कराये गये मूल्यांकन के तथ्यों से निःसंदेह यह साबित हो कि कार्य कम कराया गया था। एक वर्ष बाद कराये गये मूल्यांकन में कम जीवित प्रतिशतता आने पर यदि निर्विवाद रूप से यह तथ्य सामने नहीं आता है कि कार्य कम कराया गया था तो कम जीवित प्रतिशतता के लिये कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में ही अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये, न कि कम कार्य के लिये।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ ( )05/विकास/प्रमुवसं/139 दिनांक 7.4.2005

विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए तथा कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा एक परिपत्र दिनांक 19.11.1996 को जारी किया गया था। विगत वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी संवर्ग के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु पूर्व में जारी उक्त परिपत्र के पैरा संख्या 7 व 8 को विलोपित कर अब निम्न प्रकार पुनर्स्थापित किया जाता है :-

अनुच्छेद संख्या 7 :- कार्यस्थल का प्रभारी वनरक्षक उक्त कार्यस्थल पर संपादित किये जाने वाले कार्यों के लिए प्राथमिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी होगा। वह कार्य की शत-प्रतिशत नपती करके माप पुस्तिका में इन्द्राज करेगा। कार्यस्थल प्रभारी का नियन्त्रक वनपाल माप पुस्तिका में दर्ज कार्य के 60 प्रतिशत भाग का भौतिक सत्यापन करके यह सत्यापन जिन उप खण्डों में की गई उनके क्रमांकवार पर पाई गई वास्तविक कार्य की मात्रा का इन्द्राज माप पुस्तिका में अपने हस्ताक्षरों से करेगा। तत्पश्चात् कार्य के शेष 40 प्रतिशत भाग की उपखण्डवार भौतिक सत्यापन प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा की जाकर उपखण्ड क्रमांकवार सत्यापित वास्तविक मात्रा का इन्द्राज स्वयं के हस्ताक्षर से माप पुस्तिका में की जायेगी।

इस प्रकार माप पुस्तिका में कार्यस्थल के प्रभारी वनरक्षक द्वारा किये गये कार्य के प्रथमतया अंकित मात्रा का शत प्रतिशत उपखण्डवार भौतिक सत्यापन प्रभारी वनपाल एवं क्षेत्रीय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

अनुच्छेद संख्या 8 :- प्रत्येक कार्यस्थल का उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक द्वारा समय-समय पर अधिकाधिक निरीक्षण किया

जाकर सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्पादित हो रहा भौतिक कार्य निर्धारित तकनीकी गुणवत्ता (Specification) के अनुरूप हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यस्थल के क्रमशः 20 प्रतिशत व 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का भौतिक सत्यापन रैंडम चयन किया जाकर क्रमशः सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। उक्त सत्यापित उपखण्डों का उल्लेख प्लान्टेशन जर्नल में संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

तथापि, अपने अधीन सम्पादित हो रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अथवा वित्तीय अनियमितता के लिए उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ1(3)08-09/विकास/प्रमुवसं/ 2323-25 दिनांक 29.5.2008

निमित्त :- समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।

विषय :- योजना संबंधी मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य योजना/केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं अन्य योजनाओं संबंधी मासिक व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों के प्रगति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करने के लिए प्रपत्र 1 से 6 संलग्न भिजवाये जा रहे हैं। मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7 तारीख तक संलग्न प्रपत्रों में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावेः-

1. प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक ई-मेल (csratnasamy@yahoo.com) या फैक्स (0141-2227832) द्वारा प्रेषित किया जावे। ई-मेल द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की स्थिति में पुष्टि हेतु डाक द्वारा भी भेजा जावे।
2. माह के दौरान व्यय में वास्तविक व्यय एवं कमिटेड दायित्व दोनों का समावेश किया जावे, परन्तु कुल व्यय कभी भी आवंटित राशि से अधिक न करें।
3. आपके अधीन वृत्त एवं मण्डलों की सूचना अपने स्तर पर प्रत्येक माह संकलित की जाकर संधारित की जावे, ताकि समय पर इनका सदुपयोग किया जा सके।
4. प्रपत्र संख्या 4 में सृजित मानव दिवसों की सूचना जो बजट घोषणा से संबंधित है, का विशेष ध्यान रखा जावे।
5. लिंग के आधार पर कुल व्यय का विभाजन भी आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जावे।
6. सूचना प्रेषित करते समय यह आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे कि जिस बजट मद में राशि का आवंटन किया जावे उसी में ही व्यय दर्शाया जावे। समर्पण की स्थिति में भी पूर्ण आवंटित राशि को जब तक इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावे आवश्यक रूप से दर्शाया जावे।
7. राज्य व केन्द्र सहायता से आधारित योजनाओं की उपलब्धि का विवरण उनके अनुपात में पृथक्-पृथक् दिखाया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना), राजस्थान, जयपुर

MPR-1 (State Plan Financial)

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS .....

Upto the month .....

Name of Scheme		Outlay 2008-09	Addl. Outlay if any	Exp. During the month***	Exp. Upto the month***	Sex-disaggregated Exp. (based on Col.6)	
						Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8
FORESTRY SECTOR(S)							
Bio diversity	Tribal						
	N-Tribal						
Consolidation, Demarcation & Settlement							
Reforestation of Degraded Forest	Tribal						
	N-Tribal						
World Food Programme	Tribal						
	N-Tribal						
CAMPA Fund							
Communication & Building							
Environmental Forestry							
Preservation of Wild Life							
Commercial Plantation							
Farm Forestry							
Farm Forestry / Panchayat Raj							
Bhakhara Canal Plantation							
Gang Canal Plantation							
Research and Training							
Integrated Forest Prot. Scheme							
Total (FS)							
Twelfth Finance Commission (TFC)	Tribal						
	N-Tribal						
Total (TFC)							
EXTERNALLY AIDED PROJECT(EAP)							
Rajasthan Forestry Biodiversity Project - I	Tribal						
	N-Tribal						
Rajasthan Forestry Biodiversity Project – II							
TOTAL (EAP)							
SOIL CONSERVATION SECTOR (SCS)							
Soil Conservation in Hilly & Ravine area							
Corpus Fund							
Total							
10% State share of FPR Banas							
10% State share of FPR Luni							
10% State share of RVP							
Total							
Total (SCS)							
GRAND TOTAL							

*** In the expenditure columns no. 5 & 6 the booked expenditure and the committed liability should be shown.

MPR-2 (CSS Financial)

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS .....

Financial Position under Centrally Sponsored Schemes upto the month .....

(Rs. in lac)

Name of Scheme	Through Budget/ Outside Budget	Funding Pattern Central : State Other Agency if any	2008-2009								Sex disaggregated Exp. of Central Share	
			Latest Outlay		Central Share released by			State share released	Actual Exp. *** upto the month			
			Central Share	State Share	Govt. of India to		Govt. of Raj. to Deptt./ Agency		Central Share	State Share	Male	Female
					Govt. of Rajasthan	Department / Agency						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Forestry Sector												
Sambhar Wet land Project												
Integrated Forest Protection Scheme												
Tiger Project Ranthambhore												
Tiger Project Sariska												
Development of Ghana Bird Sanctuary												
Maintenance of other Sanctuaries												
Development of Desert National Park												
Improvement of Zoos.												
Total (Forestry Sector)												
Soil Conservation Sector												
Soil Conservation in the catchment areas of Chambal, Kadana & Dantiwara												
Soil Conservation in the catchment areas of Banas Project												
Soil Conservation in the catchment areas of Luni Project												
Total (Soil Conservation Sector)												
Grand Total												

MPR-3 (State Plan Physical)

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS .....

Upto the month .....

Name of Scheme		Item	Unit	Target 2008-09	Achievement		Sex-disaggregated Exp.(based on Col.7)	
					During the month	Upto the month	Male	Female
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FORESTRY SECTOR(FS)								
Biodiversity	Tribal							
	N-Tribal							
Consolidation, Demarcation & Settlement								
Reforestation of Degraded Forest	Tribal							
	N-Tribal							
World Food Programme	Tribal							
	N-Tribal							
CAMPA Fund								
Communication & Building								
Environmental Forestry								
Preservation of Wild Life								
Commercial Plantation								
Farm Forestry								
Farm Forestry / Panchayat Raj								
Bhakhara Canal Plantation								
Gang Canal Plantation								
Research and Training								
Integrated Forest Prot. Scheme								
Total (FS)								
Twelfth Finance Commission (TFC)	Tribal							
	N-Tribal							
Total (TFC)								
EXTERNALLY AIDED PROJECT(EAP)								
Rajasthan Forestry Biodiversity Project – I	Tribal							
	N-Tribal							
Rajasthan Forestry Biodiversity Project – II								
TOTAL (EAP)								
SOIL CONSERVATION SECTOR (SCS)								
Soil Conservation in Hilly & Ravine area								
Corpus Fund								
Total								
10% State share of FPR Banas								
10% State share of FPR Luni								
10% State share of RVP								
Total								
Total (SCS)								
GRAND TOTAL								

MPR-4

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS .....

Mandays generated upto the month .....

Name of Scheme	S.C.	S.T.	Other	Total	Women out of total
1	2	3	4	5	6
State Plan					
CSS					
NREGS					
Compensatory Afforestation					
Replanting in I.G.N.P. Area					
National Bamboo Mission					
FDA					
Mewat Area Development					
Magra Area Development					
Dang Area Development					
I.W.D.P.					
C.D.P.					
Others					
Total Achievement					
Total Target:					

MPR-5 (Non Plan Financial)

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS .....

Upto the month .....

Scheme	Outlay 2008-09	Addl. Outlay if any	Exp. During the month***	Exp. upto the month***	Sex-disaggregated Exp.(based on Col.6)	
					Male	Female
1	2	3	4	5	6	7
1. Compensatory Afforestation						
(i) Forest Areas						
(ii) Non Forest Areas						
(iii) Safety Aone						
Total (1)						
2. Replanting in I.G.N.P. Area						
3. Subordinate & Expert Staff						
a. Environmental Forestry						
b. Forest Research						
c. Training						
d. Soil Conservation in Hilly areas						
Total (3)						
Grand Total						

*** in the expenditure columns No. 5 & 6 the booked expenditure and the committed liability should be shown.

MPR-6 (Non Plan Physical)

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS .....

Upto the month .....

Scheme	Item	Unit	Target 2008-09	Achievement		Sex-disaggregated Exp.(based on Col.6)	
				During the month	Upto the month	Male	Female
1	2	3	4		5	6	7
1. Compensatory Afforestation							
(i) Forest Areas							
(ii) Non Forest Areas							
(iii) Safety Aone							
Total (1)							
2. Replanting in I.G.N.P. Area							
3. Subordinate & Expert Staff							
a. Environmental Forestry							
b. Forest Research							
c. Training							
d. Soil Conservation in Hilly areas							
Total (3)							

पी.ए.आर. भरे जाने हेतु राज्य सरकार के क्रमांक एफ13(51)डीओपी/ए-1/एसीआर/08, जयपुर दिनांक 5.6.2008 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सर्विसेज (परफोरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट) अनुदेश - 2008 की कतिपय प्रमुख विशेषताएं - (नोट सम्पूर्ण जानकारी हेतु मूल आदेश देखें।)

- यह रिपोर्ट प्रत्येक अधिकारी/राज्य कर्मचारी के कार्यों, उपलब्धियों, दक्षता, गुणों, कमियों, चरित्र, व्यवहार, क्षमता आदि को जांचने/मापने की विधि है। यह वर्ष में एक बार भरी जाती है तथा अधिकारी-कर्मचारी के स्थाईकरण, पदोन्नति, चयनित वेतनमान आदि के निर्धारण के समय काम में आती है। अतः प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को इसे यथासमय भरना चाहिए। इस रिपोर्ट की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने उपर्युक्त निर्देश जारी किए गए हैं।
- कर्मचारी को राष्ट्रपति अथवा राज्य सरकार से प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्रों, किसी विशेष संगठन के मुखिया से प्राप्त प्रशंसा पत्र अथवा ऐसे किसी संगठन द्वारा कर्मचारी के काम के सम्बन्ध में लिखे गए पैराग्राफ अथवा टिप्पणी : किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी के कार्य के सम्बन्ध में लिखे गए प्रशंसा पत्र; विभागाध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रशंसा पत्र, कर्मचारी को दिए गए दण्ड, चेतावनी तथा उसके द्वारा किए गए अध्ययनों से सम्बन्धित रिकॉर्ड उसके डोजियर में रखे जाने चाहिए।
- यदि पी.ए.आर. अधूरी पाई जाए तो उसे नियुक्ति अधिकारी अथवा शासन सचिव को वापस पूर्ति हेतु भेजा जाना चाहिए।
- मृत कर्मचारी की ए.पी.आर. उसकी मृत्यु के दो वर्ष बाद तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी की उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक अथवा पेंशन प्रकरण के निपटारे के दिन से पाँच वर्ष बाद नष्ट कर दी जानी चाहिए।
- राज्य सेवा के अधिकारियों की ए.पी.आर. प्रशासनिक सचिव व अन्य कार्मिकों की नियुक्ति अधिकारी के पास रहेगी।

- कर्मचारी की एक से अधिक ए.पी.आर. केवल तभी भरी जावेगी जब वह एक ही वर्ष में एक से अधिक रिपोर्टिंग अधिकारियों के अधीन कार्यरत रहा हो किन्तु प्रत्येक अधिकारी के अधीन अवधि कम से कम तीन माह होनी चाहिए। ऐसी प्रत्येक ए.पी.आर. पर वर्ष व अवधि अंकित होनी चाहिए। समीक्षक अधिकारी व स्वीकारकर्ता अधिकारी एक से अधिक होने पर पृथक् ए.पी.आर. की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि रिपोर्टिंग अधिकारी एक ही रहा हो।
- यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष में 15 दिन से अधिक अवकाश/प्रशिक्षण पर रहता है तो यह अवधि न्यूनतम तीन माह की अवधि में नहीं गिनी जाएगी।
- अधीनस्थ व मंत्रालयिक कार्मिकों के लिए रिपोर्टिंग/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी का निर्धारण नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- यह कर्मचारी का दायित्व होगा कि वह पी.ए.आर. के प्रथम भाग की पूर्ति कर रिपोर्टिंग अधिकारी को निर्धारित समय पर प्रस्तुत करेगा।
- पी.ए.आर. के साथ अन्य दस्तावेजात लगाने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी अपनी उपलब्धि निर्धारित स्थान पर ही अंकित करें।
- पी.ए.आर. के साथ सम्पत्ति विवरण दिया जाना अति आवश्यक है। इसके बिना पी.ए.आर. स्वीकार नहीं की जावेगी।
- रिपोर्टिंग ऑफिसर कर्मचारी के कार्य मापदण्डों को ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग करेगा। कर्मचारी को उसके कार्य के सुधार में लाने के लिए दिए गए निर्देशों आदि की स्थिति पी.ए.आर. में अंकित की जानी चाहिए।
- समीक्षक अधिकारी पी.ए.आर. में वर्णित प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशेष ध्यान देकर टिप्पणी करेगा तथा रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा किए गए रिमार्क्स को 'वेरिफाई' करेगा।
- वह प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द भी कर सकेगा।
- स्वीकारकर्ता अधिकारी अर्थहीन टिप्पणियों से युक्त पी.ए.आर. रिपोर्टिंग/समीक्षक अधिकारी को लौटा सकेगा।

सामान्य अनुदेश

- पी.ए.आर. में अंकित प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि संदेह के आधार पर। विरोधाभासी तथ्य अथवा मूल्यांकन तथा अपरिपक्व घटनाएँ एवं परिस्थितियों का अंकन पी.ए.आर. में नहीं किया जाना चाहिए।
- अपना पदनाम उस समय का अंकित किया जाना चाहिए जिस अवधि की पी.ए.आर. है न कि उसके भरते समय का।
- यदि प्रतिवेदित समय पर पी.ए.आर. भरकर नहीं देता है तो प्रतिवेदक अधिकारी को अपने स्तर से अधीनस्थ की पी.ए.आर. बिना भाग-I की पूर्ति के समीक्षक अधिकारी को भेज देना चाहिए।
- निलम्बित अधिकारी रिपोर्टिंग/समीक्षा या स्वीकार नहीं करेगा।
- कोई भी अधिकारी अपने निकट सम्बन्धी की पी.ए.आर. की रिपोर्टिंग अथवा समीक्षा नहीं करेगा।
- यदि किसी कर्मचारी ने अपने किसी अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य दिया है तो वह अधिकारी उस कर्मचारी की रिपोर्टिंग/समीक्षा नहीं कर सकेगा।
- किसी कर्मचारी के अध्ययन अवकाश, आदेशों की प्रतीक्षा में रहने या निलम्बन की अवधि में पी.ए.आर. नहीं भरी जावेगी।
- यदि कोई रिपोर्टिंग/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाए या अन्य कारणों से कार्यरत न हो तो ऐसा अधिकारी न तो किसी की पी.ए.आर. भरेगा न प्रतिकूल टिप्पणियों के अभ्यावेदन पर टिप्पणी कर सकेगा।
- यदि पर्यवेक्षक अधिकारी पी.ए.आर. पर रिपोर्टिंग करने में सक्षम न हो तो समीक्षक अधिकारी रिपोर्टिंग करेगा व स्वीकारकर्ता समीक्षा व स्वीकार करेगा। यदि किसी अवधि के लिए कोई समीक्षक अधिकारी सक्षम नहीं हो तो स्वीकारकर्ता अधिकारी समीक्षा व स्वीकार करेगा। यदि

किसी प्रकरण में कोई रिपोर्टिंग अथवा समीक्षक अधिकारी न हो तो स्वीकारकर्ता अधिकारी पी.ए.आर. रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकार करेंगे। यदि रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकार करने के लिए कोई अधिकारी न हो तो ऐसा पी.ए.आर. में अंकित किया जाना चाहिए।

- 'इन्टीग्रिटी' प्रमाण पत्र रोके जाने के सम्बन्ध में सचिव/प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति विचार करेगी।

प्रतिकूल टिप्पणी

- नियुक्ति अधिकारी/कार्मिक विभाग यह निश्चित करेगा कि कर्मचारी के विरुद्ध कौन सी टिप्पणी प्रतिकूल टिप्पणी है और उसे कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।
- प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध केवल एक ही अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। प्रतिकूल टिप्पणी के सम्बन्ध में एक बार निर्णय हो जाने पर दूसरे अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि प्रतिकूल टिप्पणी नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही की गई हो तो अभ्यावेदन पर सुनवाई उससे निकटतम वरिष्ठ अधिकारी करेगा।
- प्रतिकूल टिप्पणियों पर कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को खारिज किए जाने की स्थिति में कोई अपील/पुनरीक्षण याचिका स्वीकार नहीं होगी।

परिशिष्ट–'अ'

क्रमांक	प्रकरण का वर्गीकरण	प्रतिवेदित द्वारा प्रपत्र संकलन का समय	प्रतिवेदित द्वारा पार्ट–I की पूर्ति कर प्रस्तुत करने का समय	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भाग– II की पूर्ति हेतु समय	समीक्षक अधिकारी द्वारा भाग –III/IV की पूर्ति का समय
1.	रिपोर्टिंग वर्ष के अन्त में	मार्च माह में	30 अप्रैल	31 मई	30 जून
2.	रिपोर्टिंग अधिकारी की सेवानिवृत्ति की स्थिति में	सेवानिवृत्ति माह के पहले वाले माह में	रिपोर्टिंग ऑफिसर की सेवानिवृत्ति से 15 दिन पूर्व	सेवानिवृत्ति से पूर्व	पी.ए.आर. प्राप्त होने के 15 दिवस में
3.	स्थानान्तरण की स्थिति में	पद छोड़ने की सूचना के साथ	पी.ए.आर. फॉर्म मिलने के 15 दिन में	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन में	पी.ए.आर. प्राप्त होने के 15 दिवस में
4.	रिपोर्टिंग ऑफिसर के स्थानान्तरण की स्थिति में	चार्ज देने से पहले	पी.ए.आर. फॉर्म मिलने के 15 दिन में	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन में	पी.ए.आर. प्राप्त होने के 15 दिवस में
5.	प्रतिवेदित की सेवानिवृत्ति पर	सेवानिवृत्ति माह से एक माह पूर्व	पी.ए.आर. फॉर्म मिलने के 15 दिन में	कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व	कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )2008/स.मू./प्रमुवसं/786 दिनांक 11.7.2008

वन विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों के मूल्यांकन किये जाने के सम्बन्ध में 5 मूल्यांकन इकाइयों का गठन किया गया था। उक्त पाँचों इकाइयों के कार्य क्षेत्र का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है, ताकि भविष्य में उनके द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में किसी प्रकार की ओवर लेपिंग न हो। भविष्य में वे उन्हें आवंटित क्षेत्र का ही मूल्यांकन करेंगे तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन सीधे ही वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एण्ड सी.ई., राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत करेंगे

1. उप वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, वन भवन, जयपुर

   वे मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

2. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर

   वे मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य सम्पादित करेंगे।

3. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, सामाजिक वानिकी, वन भवन, जयपुर

   वे मुख्य वन संरक्षक, वानिकी विकास परियोजना, कोटा के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

4. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, वानिकी विकास परियोजना, अरावली भवन, जयपुर

   वे मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

5. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर

   वे मुख्य वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

मूल्यांकन हेतु वृक्षारोपण स्थलों का चयन वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एण्ड सी.ई. राजस्थान, जयपुर ड्रा के द्वारा करेंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )2008/स.मू./प्रमुवसं/879 दिनांक 19.7.2008

वन विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षारोपण स्थलों के कार्यों के सतत् मूल्यांकन किये जाने हेतु 5 मूल्यांकन दलों (units) का गठन किया हुआ है। उक्त मूल्यांकन दलों हेतु पूर्व में प्रसारित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। मूल्यांकन दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना करेंगेः-

1. मूल्यांकन दलों को प्रस्तावित क्षेत्र के मूल्यांकन की रिपोर्ट कार्य समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एण्ड सी.ई., राजस्थान, जयपुर को आवश्यक रूप से देनी होगी।

2. मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 20 प्रतिशत प्लान्टेशन का चयन किया जायेगा जिनमें से 10 प्रतिशत प्लान्टेशन साइट्स का शत प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत का सैम्पल पद्धति से मूल्यांकन किया जायेगा।

3. मूल्यांकन दलों को गणना किये जाने वाले वृक्षों के प्रजातिवार तथा वैज्ञानिक नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने होंगे। इसके साथ ही यह उल्लेख भी करना होगा कि वृक्षारोपण क्षेत्र में उक्त प्रजाति के पौधे उपयुक्त भी हैं अथवा नहीं?

4. मूल्यांकन दल को साझा वन प्रबन्ध के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। इसी प्रकार से वृक्षारोपण स्थल का कटबैक ऑपरेशन तथा वहाँ प्रूनिंग की गई है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराना होगा।

5. मूल्यांकन दल को मूल्यांकन स्थल के अन्दर तथा बाहर के फोटोग्राफ प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. सम्बन्धित वन मण्डल द्वारा जो रिकॉर्ड मूल्यांकन दल को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे प्रतिवेदन में अंकित किया जावे, जैसे माप पुस्तिका, प्लान्टेशन जर्नल, माइक्रोप्लान, प्राक्कलन, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का रिकॉर्ड इत्यादि।

7. मूल्यांकन दल को स्थानीय कार्य प्रभारी को साथ में लेकर कार्य करना होगा तथा उन्हें फील्ड बुक पर हस्ताक्षर लेने होंगे।

8. मूल्यांकन दल को विद्यमान वन उपज की निकासी का ब्यौरा आवश्यक रूप से प्रतिवेदन में देना होगा।

9. मूल्यांकन प्रतिवेदन में वृक्षारोपण स्थल का चयन मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं, के बारे में अवगत कराना होगा।

10. पौधों की जीवितता प्रतिशत के साथ में पौधों की औसत ऊँचाई भी अंकित किया जाना आवश्यक है।

11. जिन वृक्षारोपण स्थलों में घास की बीज सोईंग की गई है, उनके परिणाम प्रतिवेदन में दर्शाये जायें।

12. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित परिपत्र क्रमांकः एफ( )प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.9.1999 में आंशिक संशोधन करते हुए प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका गणना होने के पश्चात् मूल्यांकन दल को उपलब्ध करायेंगे ना कि पहले। मूल्यांकन दल गणना प्रपत्रों की फोटो प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ21(18)2005-06/आयो/प्रमुवसं /4519 दिनांक 4.8.2008

विभाग द्वारा आबादी के आसपास के वन क्षेत्रों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने हेतु 12वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग कर पक्की दीवार निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार संवेदनशील वन क्षेत्र जहां पर अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों को भी पूर्ण सुरक्षा देने के उद्देश्य से पक्की दीवार निर्माण कार्य विभिन्न वन मण्डलों में कराया जा रहा है। 12वें वित्त आयोग के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी प्राप्त धनराशि का उपयोग करते हुए दीवार बनाई जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत भी पक्की दीवार का कार्य कतिपय वन मण्डलों में कराया जाता है। दीवार के अतिरिक्त वन सीमांकन हेतु मीनारें, भवन, एनिकट आदि का पक्का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है।

परन्तु कुछ स्थानों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि सुरक्षा हेतु बनाई जा रही दीवार की गुणवत्ता निम्न स्तर की है जिससे दीवार निर्माण का उद्देश्य ही विफल हो रहा है, जिसका कारण सीमेंट का घटिया स्तर का होना, मौके पर बिन छनी रेत का उपयोग करना, सीमेंट व रेत का सही मिश्रण

नहीं होना, दीवार के चुनने के बाद तराई नहीं होना आदि कारण होते हैं।

अतः जहाँ भी किसी प्रकार का पक्का निर्माण का कार्य हो रहा है, इस कार्य की गुणवत्ता समय-समय पर जांच कर प्रमाणीकरण होने की जिम्मेदारी संबंधित वन संरक्षक की होगी एवं वे भविष्य में क्वालिटी कन्ट्रोल का कार्य निभायेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर स्थिति में संदिग्ध स्थानों में सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज से भी टेस्ट कर सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा निर्माणाधीन पक्के कार्य की गुणवत्ता उनके अधीनस्थ क्षेत्र में सही रूप से हो रही है।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर